भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3705
जिसका उत्तर मंगलवार 09 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड में सीएमडी की नियुक्ति

3705. डॉ अरूण कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एफपीएसयू नामत: इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यकाल फरवरी, 2014 में समाप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो ईपीआईएल में नए सीएमडी की नियुक्ति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या बिना एसीसी के अनुमोदन से उसी सीएमडी को पद पर बने रहने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): यह सूचित किया जाता है कि श्री एस.पी.एस.बक्शी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआई का कार्यकाल 04.02.2014 को पूरा हो गया था तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआई के रूप में 04.02.2014 (उनके 05 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख) के बाद उनके कार्यकाल को और बढाने या न बढ़ाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी (एसीसी) के पास विचाराधीन था।

(ख) और (ग): उन्हीं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अर्थात श्री एस.पी.एस.बक्शी को 04.02.2014 के बाद 30.09.2018(सेवानिवृत्ति की तारीख) तक कार्यकाल के विस्तार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी (एसीसी) द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.05.2016 के माध्यम से दे दी गई है।

(घ): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने पत्र दिनांक 17.05.2016 के माध्यम से श्री एस.पी.एस.बक्शी को 04.02.2014 (उनके 05 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख) से आगे की अवधि अर्थात 05.02.2014 से 30.09.2018 (उनकी अधिवर्षिता की तारीख) तक की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईपीआईएल के रूप में कार्यकाल बढ़ाने हेतु एसीसी का अनुमोदन सूचित किया है।

*****